

प्रेस विज्ञप्ति
जनपद-बस्ती
दिनांक-08.01.2021

करोड़ो रुपये की ठगी करने वाले 25-25 हजार रूपये के इनामिया अन्तर्राज्यीय
गिरोह के दो अभियुक्त (डायरेक्टर सहित) गिरफ्तार |

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री हेमराज मीना के आदेश के क्रम में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री रवीन्द्र कुमार सिंह के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर श्री गिरीश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी क्राइम/ रुधौली श्री शक्ति सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री रामपाल यादव, अपराध शाखा के निरीक्षक श्री कपिल मुनि सिंह, निरीक्षक श्री मृत्युंजय पाठक व निरीक्षक श्री जितेन्द्र यादव की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक:- 03.01.2021 को 25-25 हजार रूपये के इनामिया अभियुक्त तनमय मित्रा को कोलकाता से तथा दिनांक:- 08.01.2021 को अभियुक्त विकास हवलादार सम्बन्धित मु0अ0सं0 1392/2016 को कचहरी चौराहा बस्ती के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1.विकास हवलादार पुत्र खिरोत सा0 0147 गन्ती लस्कर पारा थाना जीवन तला जनपद दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल।
- 2.तनमय मित्रा उर्फ बबाई पुत्र तपस मित्रा सा0 0147 गन्ती लस्कर पारा थाना जीवन तला जनपद दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल (ट्रांजिट रिमाण्ड पर कोलकत्ता से)।

संक्षिप्त विवरण:-

मु0अ0सं0 1392/2016धारा 406/117/419/420/467/468/471/120B भा0द0सं0 थाना कोतवाली जनपद बस्ती से सम्बन्धित अभियुक्तगण विकास हवलादार (डायरेक्टर), तनमय मित्रा व रुमकी हवलादार (एकाउन्टेन्ट) व उनके साथी-गण द्वारा प्रोग्रेस प्रोड्यूसर ग्रुप/ प्रोग्रेस कल्टीवेशन लिमिटेड नामक कंपनी की शाखा मुरलीजोत थाना कोतवाली जनपद बस्ती में वर्ष 2011 में स्थापित किया गया। विज्ञापन आदि के जरिए कंपनी द्वारा अनेक जमा-योजनाएं जारी की गईं। कमिशन सुविधाएं देने का वादा कर, बेरोजगारों को कंपनी की तरफ आकर्षित किया गया। कंपनी के बहकावे में आकर काफी लोग कम्पनी के शेयर व बांड खरीदे तथा अपना पैसा निवेश किये। कम्पनी द्वारा जमा कर्त्ताओं तथा एजेन्टो को मिच्योर्टी आदि देने का आश्वासन दिया गया। कम्पनी अपने आश्वासनो पर खरी नहीं उतरी। उक्त कम्पनी वर्ष 2015 में लोगो को धोखा देकर चली गई। आम जनमानस से धोखा धडी व जालसाजी कर कम्पनी के पदाधिकारियों द्वारा बस्ती जनपद से करीब 16 करोड़ रूपये हडप लिया गया। प्रलोभन देकर गवन करने तथा आम जनमानस को झांसे मे लेकर पैसा हड़प कर भाग जाने के बावत वर्ष 2016 में थाना कोतवाली बस्ती पर मु0अ0सं0 1392/2016 धारा 406,117,419,420,467,468,471,120बी IPC

विरुद्ध अभियुक्त गण विकास हवलादार, तनमय मित्रा व रुमकी हवलादार आदि नामजद अभियुक्तगण पंजीकृत हुआ। घटना के बाद से ही अभियुक्तगण फरार चल रहे थे सभी नामजद अभियुक्त गण पश्चिम बंगाल प्रान्त के रहने वाले है, मुकदमा पंजीकृत होने के पश्चात से ही अभियुक्त गण की तलाश जारी रही। **विकास हवलादार (डायरेक्टर), तनमय मित्रा व रुमकी हवलादार (एकाउन्टेन्ट)** द्वारा अन्य सह अभियुक्तगणों के साथ मिलकर आम जनता से धोखा धडी कर करोडो रूपए की प्रापटी कोलकत्ता, अम्बेडकरनगर मे लगभग 100 करोड की सम्पत्ति खरीदी गयी है जिसे तस्दीक कर नियमानुसार जप्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

विवेचना के क्रम में **अभियुक्त विकास हवलादार, तनमय मित्रा व रुमकी हवलादार** व अन्य सह अभियुक्तगण द्वारा जनमानस को धोखे मे लेकर निवेश कराये गये पैसे के माध्यम से **करीब 100 करोड रूपए** से अधिक की सम्पत्ति कम्पनियों के नाम से खरीदी गयी है जिसका विवरण निम्नवत है।

प्रोग्रेस प्रोड्यूसर ग्रुप /प्रोग्रेस कल्टीवेशन लिमिटेड कम्पनी

- 1.सिंगूर कोलकत्ता में स्थित प्रोग्रेस प्रोड्यूसर ग्रुप /प्रोग्रेस कल्टीवेशन लिमिटेड कम्पनी कीमत करीब 87 करोड
2. वारासात कोलकत्ता में कम्पनी के नाम जमीन 13 बीघा कीमत करीब 10 करोड
- 3.जनपद अम्बेडकरनगर उ0प्र0 में कम्पनी के नाम जमीन 08 बीघा कीमत करीब 02.50 करोड
- 4.मजलिस साह रोड बेहला कोलकत्ता स्थित बेकरी फैक्ट्री (अभियुक्ता रुमकी हवलादार के नाम से) कीमत करीब 50 लाख

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तगण विकास हवलादार (डायरेक्टर), तनमय मित्रा व रुमकी हवलादार (एकाउन्टेन्ट) द्वारा बताया गया कि वर्ष 2009 में सिंगूर कोलकत्ता में स्थित प्रोग्रेस प्रोड्यूसर ग्रुप /प्रोग्रेस कल्टीवेशन लिमिटेड कम्पनी हम लोगो व हमारे सहयोगियो द्वारा स्थापित किया गया। जिसकी ब्रान्च हम लोगो ने मुरली जोत थाना कोतवाली जनपद बस्ती, अम्बेडकरनगर, बडहलगंज गोरखपुर आदि जगहो पर स्थापित किये। कम्पनी का काफी प्रचार –प्रसार किया गया। आम लोगो को तरह-तरह के लोक लुभावने स्कीम के तहत कम्पनी की तरफ आकर्षित किया गया तथा उनसे काफी पैसे कम्पनी में निवेश कराये गये। जगह जगह स्थापित शाखाओं से जो पैसा एकत्र होता था उसे कोलकत्ता स्थित कम्पनी में लगाने लगे जब कम्पनी में काफी पैसा निवेश हो गया तो हम लोगो के मन में लालच आ गई तथा हम लोगो द्वारा निवेशको के पैसे देना बन्द कर दिए और बाद में शाखाओं को बन्द कर फरार हो गये। बस्ती जनपद के लोगो का ही करीब 16 करोड रूपये कम्पनी के नाम पर हम लोगो ने हडप लिया है। हम लोगो के विरुद्ध जो मुकदमा लिखा गया था उससे बचने के लिए फरार होकर छिप-छिपाकर रहने लगे।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विकास हवलादार

1.मु0अ0सं0 08/2016 धारा 419,420,467,468,471 ipc थाना अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

- 2.मु0अ0सं0 242/17 धारा 419,420,467,468,471 ipc थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर ।
- 3.मु0अ0सं0 433/2016 धारा 419,420,467,468,471 ipc थाना बडहलगंज जनपद गोरखपुर ।
- 4.मु0अ0सं0 1392/2016 धारा 406,117,419,420,467,468,471,120B थाना कोतवाली जनपद बस्ती।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री रामपाल यादव ।
2. निरीक्षक श्री कपिल मुनि सिंह अपराध शाखा बस्ती ।
3. निरीक्षक श्री मृत्युंजय पाठक अपराध शाखा बस्ती ।
4. निरीक्षक श्री जितेन्द्र यादव अपराध शाखा बस्ती ।
5. का0 हिन्दे आजाद सर्विलांस सेल जनपद बस्ती ।
6. हे0का0 हरेन्द्र यादव ,का0 शिव प्रसाद गौड ,महिला आरक्षी संध्या कन्नौजिया थाना कोतवाली जनपद बस्ती ।